न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज जगदीश बनाम लालाराम मु.नं. 153/21 (T.P.)	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	10.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.P. दिनांक 08/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	8/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.P. पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.P. दिनांक 07.8.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	07.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
153/2021	27.12.2021	07.08.2025

बउनवान

1. जगदीश पुत्र स्व. यादराम प्रजापत, निवासी पालोदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. हरि पुत्र स्व. यादराम प्रजापत, निवासी पालोदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. हजारी पुत्र स्व. यादराम प्रजापत, निवासी पालोदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. नहनी देवी पत्नी स्व. यादराम प्रजापत, निवासी पालोदा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण/सायलान

बनाम

1. लालाराम बैरवा पुत्र लोहड्याराम बैरवा, निवासी पालोदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. नत्थी देवी पत्नी लालाराम बैरवा, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा हाल निवासी हींगवा, तहसील सिकराय, दौसा।
3. मदन बैरवा पुत्र श्री चन्दर लाल, निवासी मान्यापुरा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री प्रीतम चन्द सैनी, श्री जगदीश प्रसाद मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 – श्री भुवनेश त्रिवेदी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. सायलान की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि सायलान की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 198 रकबा 0.14 हैक्टे., 221 रकबा 0.23 हेक्टे., 263 रकबा 0.04 हैक्टे., 265 रकबा 0.04 हैक्टे., 267 रकबा 0.05 हैक्टे., 476 रकबा 0.04 हैक्टे., 477 रकबा 0.05 हैक्टे., 478 रकबा 0.03 हैक्टे., 74 रकबा 0.11 हैक्टे., कुल कित्ता 9, कुल रकबा 0.73 हेक्टे., ग्राम पालोदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात सायलान एवं उसके सहखातेदारान की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि है एवं सायलान मौके पर काबिज काश्त हैं। सायलान की उक्त भूमि से गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान के खेतों के सटवा ही गैरसायल सं. 1 व 2 की खेती की कृषि भूमि खसरा सं. 75/538, 76 स्थित है। गैरसायलान अपनी उक्त भूमि में पुख्ता वाउण्ड्रीवाल करना चाहते हैं लेकिन ये लोग लडाकू एवं झगडालू प्रवृति के व्यक्ति हैं एवं सायलान की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 74 रकवा 0.11 हैक्टे. पर जबरन कब्जा कर पुख्ता वाउण्ड्रीवाल करना चाहते हैं जबकि गैरसायलान का सायलान की खसरा सं. 74 से कोई लेना–देना किसी भी प्रकार का नही है। दिनांक 01.10.2021 को सायलान अपने खेतों की जुताई करने के लिये अपनी खातेदारी की भूमि पर गया तो उसने देखा कि सायलान के खेत खसरा सं. 74 पर

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

गैरसायलान ने कब्जा करने की नीयत से पत्थर व बजरी डाल दिये हैं एवं उसमें पुख्ता बाउण्ड्रीवाल करना चाहते हैं। जब सायलान ने इस बावत गैरसायलान से बात की तो गैरसायल सं. 3, जो कि गैरसायल सं. 1 व 2 का रिश्तेदार है, ने ऐलानिया कहा कि हमारे लट्ठ में ताकत है। हम जहां चाहेगें, कब्जा करके रहेगें। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकते हो। यदि तुमने ज्यादा बकवास की तो तुम्हें झूठे धारा 3 SC / ST Act के मुकदमें में फंसा दूंगा एवं तुम्हें जेल के अन्दर करवा दूंगा। उसके पश्चात सायलान ने दिनांक 01.10.2021 को उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मण्डावर में दी लेकिन उन्होंने सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने को कहा। यदि गैरसायलान अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2021 को ग्राम पालोदा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में गैरसायलान द्वारा दी गयी ऐलानिया धमकी से उत्पन्न हुआ है जिसमें उन्होंने उक्त विवादित जमीन में गैरसायलान द्वारा सायलान की जमीन में कब्जा करने की नीयत से पत्थर व बजरी डालकर उसमें पुख्ता बाउण्ड्रीवाल करना चाहते हैं। सायलान की कब्जे काश्त में मजाहमत, मदाखलत पैदा करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने से पैदा हुआ है। सायलान का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन बखूबी साबित है। गैरसायलान को अस्थांई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को किसी प्रकार की नुकसान होने की संभावना नहीं है जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया जाता है तो सायलान को जबरदस्त नुकसान होने की संभावना है जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं होगी। अतः अर्ज है कि दौराने दावा गैरसायलान को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा सं. 74, रकबा 0.11 हैक्टे. वाके ग्राम पालौदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित आराजी में पत्थर व बजरी डालकर कोई कच्चा, पक्का निर्माण आदि नही करें तथा न ही किसी अन्य नौकर, ऐजेन्टों से करावें तथा सायलान की कब्जे काश्त में बुवाई, जुताई करने में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहमत, मदाखलत बेजा ना तो स्वयं, ना ही किसी अन्य से करावे। रिकोर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया।अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, विवादित आराजी खसरा सं. 74 के सायलान के पिता स्व. यादराम दर्ज रिकॉर्ड खातेदार हैं तथा इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। वाद पत्र के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी खसरा सं. 74 में पत्थर बजरी डालकर कच्चा–पक्का निर्माण कार्य किया जाता है तो सायलान के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा। इससे वाद बहुलंता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि गैरसायलान के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी।

6. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने से, नुकसान पहुंचाने से, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पालोदा, पटवार हल्का धौलखेडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 74 के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा सं. 74 में पत्थर व बजरी डालकर कोई कच्चा, पक्का निर्माण आदि नही करें तथा सायलान की कब्जे काश्त में बुवाई, जुताई करने में किसी प्रकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की रूकावट, मजाहमत, मदाखलत बेजा ना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 07.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)